

आमसूचना

विद्युत अधिनियम, 2003, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के छ.रा.वि.नि.आ. (बहुवर्षीय टैरिफ के सिद्धांतों के अनुरूप टैरिफ निर्धारण की निबंधन एवं शर्तें तथा दरों और प्रभारों से अनुमानित के निर्धारण हेतु पद्धति और प्रक्रिया) विनियम, 2012 एवं छ.रा.वि.नि.आ. (बहुवर्षीय टैरिफ के सिद्धांतों के अनुरूप टैरिफ निर्धारण की निबंधन एवं शर्तें तथा दरों और प्रभारों से अनुमानित के निर्धारण हेतु पद्धति और प्रक्रिया) विनियम, 2015 के प्रावधानों के तहत मेसर्स जिंदल पावर लिमिटेड के द्वारा स्थापित 4x600 मेगावाट कोयला आधारित ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र, ग्राम-तमनार, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 से आगामी वर्षों के लिए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कंपनी को प्रदाय की जा रही ऊर्जा की परिवर्तनीय लागत (वेरिएबल कास्ट) के निर्धारण हेतु आयोग के समक्ष याचिका (कमांक 44/2017(T)) प्रस्तुत की गयी है।

जिंदल पॉवर लिमि. द्वारा ऊर्जा (परिवर्तनीय) प्रभारों वित्तीय वर्ष 2013-14 की अवधि के लिये रुपये 2.289 प्रति यूनिट, वित्तीय वर्ष 2014-15 की अवधि के लिये रुपये 2.678 प्रति यूनिट, वित्तीय वर्ष 2015-16 की अवधि के लिये रुपये 2.183 प्रति यूनिट, वित्तीय वर्ष 2016-17 की अवधि के लिये रुपये 1.824 प्रति यूनिट एवं वित्तीय वर्ष 2017-18 तथा आगामी वर्षों की अवधि के लिये रुपये 1.824 प्रति यूनिट अस्थाई अनुमोदन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष उपरोक्त याचिका दाखिल की है।

उपरोक्त याचिका की प्रति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, विद्युत नियामक भवन, सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर, रायपुर-492001 के कार्यालय में उपलब्ध है। याचिका की मुद्रित प्रति कार्यालयीन दिवसों में रु. 250/- का भुगतान कर प्राप्त की जा सकती है। याचिका की प्रति रु. 50/- (डाक व्यय) का अतिरिक्त भुगतान कर डाक द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है। आयोग की वेबसाईट www.cserc.gov.in पर उपलब्ध है।

उपरोक्त याचिका पर सुझाव/आपत्तियों/टिप्पणियों को इस आमसूचना के जारी होने के 21 दिवस के भीतर जिंदल पॉवर लिमि. के कार्यालय ग्राम-तमनार, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़-496107 एवं सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, विद्युत नियामक भवन, सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर, रायपुर-492001 के कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है।

सुझाव/आपत्तियों/टिप्पणियों की अग्रिम प्रति जिंदल पॉवर लिमि. को फ़ैक्स नंबर 0771-3054666 पर एवं/अथवा आयोग को फ़ैक्स नंबर 0771 - 4073553 पर भेजी जा सकती है। छ. ग. राज्य विद्युत नियामक आयोग आपत्तियां/सुझाव दर्ज कराने वाले पक्षकारों को अपना पक्ष रखने हेतु सुनवाई में सम्मिलित होने का अवसर दे सकता है। सुनवाई हेतु स्थल एवं दिनांक की सूचना आयोग द्वारा पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशित की जावेगी।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
(भरत रोहरा)
जिंदल पॉवर लिमिटेड,
तमनार, जिला रायगढ़-496107 (छ.ग.)

Public Notice

In compliance with the provision of the Electricity Act, 2003 read with CSERC (Terms and Conditions for determination of tariff according to Multi-Year Tariff Principles and Methodology and Procedure for determination of Expected revenue from Tariff and Charges) Regulation, 2012 and the CSERC (Terms and Conditions for determination of tariff according to Multi-Year Tariff Principles and Methodology and Procedure for determination of Expected revenue from Tariff and Charges) Regulation, 2015, Jindal Power Ltd. (JPL) has filed a petition No. 44/ 2017(T) before Hon'ble Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (CSERC) for determination of Variable cost of the 4x600 MW coal based power project located at Village Tamnar in Raigarh District, Chhattisgarh for FY 2013-14 to 2017-18 and onward for supply of power to Chhattisgarh State Power Trading Co. Ltd. (CSPTrdCL).

JPL has requested the Hon'ble CSERC to allow variable cost of Rs. 2.289 /unit for FY 2013-14, Rs. 2.678/unit for FY 2014-15, Rs. 2.183/unit for FY 2015-16, Rs. 1.824/unit for FY 2016-17 and Rs. 1.824/unit provisionally for FY 2017-18 and onwards for supply of power to CSPTrdCL.

The copy of the petition is available at CSERC office, Vidyut Niyamak Bhavan, New Shanti Nagar, Raipur (C.G.) – 492001 which can be purchased on any working day on payment of Rs. 250/- & may be obtained by post on payment of additional charges of Rs. 50/-. Copy of this notice and the petition are also available on Commission's website www.cserc.gov.in.

Objections/Suggestions/Views on the aforesaid petition may be submitted to petitioner's office at JPL, Village – Tamnar, Distt. – Raigarh (C.G.) – 496107 and/or The Secretary, Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission's office , Vidyut Niyamak Bhavan, New Shanti Nagar, Raipur (C.G.) – 492001 within 21 days of publication of this notice. Advance copies of objections/Suggestions/views may be sent through Fax No. 0771-3054666 to JPL and CSERC on Fax No. 0771-4073553. Notice for hearing on aforesaid petition may be published by CSERC in the newspaper separately.

Authorised Signatory

Bharat Rohra

Jindal Power Ltd.

Tamnara, Distt. – Raigarh (C.G.) - 496107